नाम हृदय प्रकाश है, अनुपम अमर अमोल।
ऋधि सिद्धि पीछे फिरे, भक्तन सुख ही होल।।

संपादकीय

संतुलित रुख अपनाया

राजस्थान और गुजरात में अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (सोहन चिड़िया) के लिए खतरनाक माने गए सोलर एनर्जी प्रॉजेक्ट से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो संतुलित रुख अपनाया है, वह पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास को लेकर जुडिशरी की नई सोच का संकेत करता है। पहली बार इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी के असंतुलन को संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से जोड़ा है। मामला 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के प्रॉजेक्ट से जुड़ा है, जिस पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में रोक लगा दी थी। उस समय कोर्ट के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि बिजली के इन तारों से टकराकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों की बड़ी संख्या में मौत होती है। राजस्थान और गुजरात का वह इलाका इन पक्षियों के आवागमन की राह में पड़ता है। मगर यही इलाका सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं से भरपूर भी माना जाता है। इस प्रॉजेक्ट पर रोक के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी देश की योजनाएं बुरी तरह बाधित हो रही थीं। ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि इस तरह की एकतरफा रोक से बात नहीं बनती। पक्षियों को बचाना अगर महत्वपूर्ण है तो वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने का देश का संकल्प पूरा होना भी जरूरी है। लिहाजा, कोर्ट ने नए आदेश में 13000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इन पक्षियों के आवास के रूप में संरक्षित रखने और 77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन पर लगी रोक हटाने की बात कही। जलवायु बदलाव के प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए सरकार अपनी नीतियों में जो भी बदलाव ला रही हो, हालात की गंभीरता के मद्देनजर यह काफी नहीं माना जा रहा। इन प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए इन्हें संवैधानिक मूल्यों से जोड़ने की जरूरत थी। जलवायु परिवर्तन से आम लोगों के जीवन पर पड़ते विपरीत प्रभावों और ऊर्जा की कमी जैसे संकटों को नागरिकों के जीवन व समानता के अधिकारों से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने इसी जरूरत को पूरा करने की कोशिश की है। अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा की डिमांड में होने वाले कुल इजाफे का 25 प्रतिशत भारत में होगा। पर्यावरण प्रदूषण का दबाव स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत बढ़ाएगा। भारत में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावना भी है। इसे देखते हुए ही भारत सरकार ने 2030 तक 500 गिगावॉट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने और 2070 तक शून्य उत्सर्जन की स्थिति में पहुंचने का लक्ष्य रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में इन सभी तथ्यों का ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर शीर्ष अदालत का यह फैसला ऐसा कानूनी नजरिया देता है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाए रखते हुए विकास सुनिश्चित करने की राह पर आगे बढ़ना आसान बनाएगा।

आज का विचार

सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है

सहज योग संदेश

श्री सद्गुरु देव जी की अनुभव वाणी

तुम में मन में देह, सर्व भूमि सब पास।
अनुभव योग विधान में, अपरिछित्र तत्व भास।।

आत्मा, मन, देह में एवं सर्व अवस्थाओं में वह परमप्रभु सबके समीप है। अनुभव योग-रीति से उस सर्वव्यापक परम सत्ता का सर्वत्र अनुभव होता है।

-जारी

महर्षि सदाफल देव जी महाराज

सही योजनाएं नहीं बनी तो हमें भविष्य में भयंकर परिणाम झेलने होंगे

गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं। एक नवंबर, 2023 से 22 अप्रैल 2024 तक वनाग्नि की 431 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं और इनसे 516.92 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। खास बात यह है कि 31 मार्च तक जंगलों में आग लगने की सिर्फ 34 घटनाएं हुई थीं और इनसे 35.25 हेक्टेयर वन क्षेत्र ही प्रभावित हुआ था। लेकिन अप्रैल के 22 दिन में वनाग्नि और उससे होने वाला नुकसान करीब 13 गुना बढ़ गया। दरअसल जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर इस साल की शुरुआत में ही दिखने लगा है। देश के बड़े हिस्से में तापमान औसत से अधिक दर्ज किया गया है और इस बार तीन मार्च से ही लू या हीटवेव का प्रकोप शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा 19 अप्रैल, को जारी अखिल भारतीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 18 अप्रैल, को भारत के 60 प्रतिशत से अधिक या 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। 2023 की तुलना में इस बार हीटवेव ने देश में 10 दिन पहले दस्तक दी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 तक, तीन राज्यों में लू या हीटवेव का सितम रहा। तीन मार्च से 18 अप्रैल, 2024 तक अब यह संख्या बढ़ कर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच गई, जिन्हें गर्म हवाओं ने अपने आगोश में ले लिया था।भारत में लू या हीटवेव इस सप्ताह सुर्खियां बना रहा है, 16 अप्रैल को कथित तौर पर हीटस्ट्रोक से 13 लोगों की मौत हो गई। 20 अप्रैल को प्रकाशित, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने बताया कि देश के 90 प्रतिशत लोगों को गर्मी के कारण आजीविका क्षमता, खाद्यान्न उपज, वेक्टर जनित रोग फैलने और शहरी स्थिरता में नुकसान होने का खतरा है। यहां बताते चले कि, जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो उसे हीटवेव घोषित किया जाता है।कर्नाटक में साल का पहला लू का प्रकोप तीन मार्च को दर्ज किया गया था। नौ मार्च तक राज्य में चार दिन लू का कहर दर्ज किया गया था। गोवा में लू के चार दिन और गुजरात में दो दिन रहे। महीने की आखिरी लू 12 मार्च को दर्ज किया गया था।देश में 12 अप्रैल, को पश्चिम बंगाल में गंगा के अलग-अलग इलाकों में लू ने दस्तक दी। आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब और पश्चिम बंगाल में 12 से 18 अप्रैल तक लू का प्रकोप दर्ज किया गया। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इससे निपटने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है, विशेष रूप से क्योंकि लू के सितम के जारी रहने के आसार हैं और यह लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है।मौसम विभाग द्वारा 2 7 अप्रैल, 2024 तक लू या लू जैसी चरम स्थितियों पर कम से कम आठ राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में 30 अप्रैल, 2024 तक इन चरम स्थितियों के जारी रहने की आशंका जताई गई है। लोगों के स्वास्थ्य पर लू के प्रभाव को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली ऐसी चरम घटनाएं घातक भी हैं और इनसे निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की जरूरत है। देश के कई राज्यों में जंगल में आग लगने से हजारों हैक्टेयर का जंगल तबाह हो गया वहीं वन्य संपदा और वन्य जीवों के जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। जंगलों से उठी आग की लपटों ने जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड को आग की तपती भट्ठी बना दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल की स्थिति चीड़ की पत्तियों के कारण काफी विकराल है। 70 के दशक में ही पर्वतीय राज्यों में चीड़ उगाने के अभियान ने एक तरह का जंगल राज पैदा कर दिया। चीड़ उगाने की मुहिम में पर्वतीय राज्यों में न केवल चारागाहें छीन ली बल्कि मनुष्य को भी वनों से दूर कर दिया। वनाग्नि से हिमालीय राज्यों में कहर बरप रहा है, जहां तापमान सामान्य से दो से लेकर चार डिग्री तक बढ़ गया है।

-अशोक भाटिया

सामयिक

सेल्फ स्टडी का महत्व

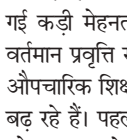

विजय गर्ग

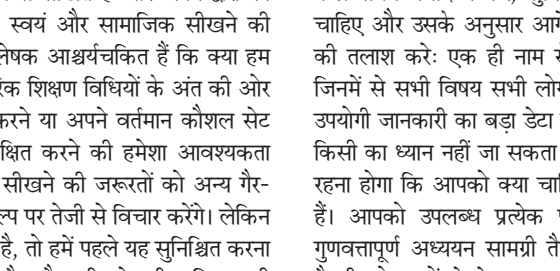

सेल्फ स्टडी को किसी शिक्षक या प्रशिक्षक की किसी भी प्रकार की सहायता या पर्यवेक्षण के बिना स्वयं द्वारा अध्ययन की जाने वाली चीज़ के रूप में परिभाषित किया गया है, हालांकि अध्ययन करने वाला व्यक्ति कुछ बाहरी स्रोतों जैसे किताबें, ट्यूटोरियल और विश्वकोश आदि की मदद ले सकता है, इसलिए यह गलत नहीं होगा। कहते हैं कि यह अध्ययन का एक रूप है जिसमें छात्र अपने निर्देश के लिए काफी हद तक स्वयं जिम्मेदार होता है और स्वयं ही उसका शिक्षक होता है। उसे कुछ न कुछ करने के लिए कहने या मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। इसे 'स्वयं सीखना' या 'स्वयं द्वारा' या स्वयं अपना शिक्षक बनना के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। स्व-अध्ययन या तो पुस्तकों, कुछ ऑनलाइन पत्रिकाओं के माध्यम से अध्ययन करना या किसी विशेष विषय को सीखने के लिए ट्यूटोरियल का उपयोग करना हो सकता है, स्व-अध्ययन संदर्भ/प्रयोग या एक निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा सीखने का एक व्यक्तिगत प्रयास है। स्व-शिक्षा, सामान्य तौर पर, न केवल सीखने का अधिक सुविधाजनक तरीका है, बल्कि वास्तव में, यह हाई स्कूल, कॉलेज और वयस्क शिक्षार्थियों के लिए पारंपरिक कक्षा शिक्षण पद्धति की तुलना में अधिक प्रभावी है, जिनके पास वास्तव में कक्षाओं में भाग लेने का समय नहीं है। लेकिन जो लोग अभी भी सोचते हैं कि सीखना केवल कक्षा में ही हो सकता है, उनके लिए स्व-शिक्षा की दुनिया वास्तव में बेतुकी या बेकार हो सकती है। एक शिक्षार्थी बनना इतना आसान और रोमांचक पहले कभी नहीं था। निरंतर सीखने को अपनी जीवनशैली का एक प्रमुख हिस्सा बनने दें और पुरस्कार निरंतर, व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर रूप से आपके करियर में जुड़ते रहेंगे। सीखना हमेशा एक आजीवन व्यवसाय के रूप में माना जाना चाहिए। सारी शिक्षा जिज्ञासा से उत्पन्न होती है। जो लोग इस जीवन को बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं वे नई चीजें सीखने के लिए बेहद उत्सुक रहते हैं। केवल जिज्ञासु लोग ही हर चीज़ को बहुत व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं और अपने द्वारा की गई कड़ी मेहनत से लाभान्वित होते हैं। स्वयं और सामाजिक सीखने की वर्तमान प्रवृत्ति से कुछ विद्वान और विश्लेषक आश्चर्यचकित हैं कि क्या हम औपचारिक शिक्षण तकनीकों और पारंपरिक शिक्षण विधियों के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार कौशल हासिल करने या अपने वर्तमान कौशल सेट को उन्नत करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की हमेशा आवश्यकता होगी, सीखने और विकास पेशेवर कुछ सीखने की जरूरतों को अन्य गैर-औपचारिक दृष्टिकोणों पर छोड़ने के विकल्प पर तेजी से विचार करेंगे। लेकिन अगर लोगों को स्वयं सीखना शुरू करना है, तो हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई सीखने में सक्षम है और सीखने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता उपयोग की गई सामग्री द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। सेल्फ स्टडी के फायदे छात्रों को उनके सोच स्तर को व्यापक बनाने में मदद करता है। बिना किसी प्रतिबंध के सीखने की स्वतंत्रता। स्व-शिक्षा शिक्षार्थी को अपनी रुचियों की संख्या को सीमित करने में सक्षम बनाएगी। नियमित शिक्षण की तुलना में स्वयं सीखना अधिक मजेदार है। विद्यार्थियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है और वे जिम्मेदारी स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। स्व-शिक्षा का अर्थ है कि आप शिक्षकों या पाठ्यपुस्तकों के उबाऊ नोट्स के बजाय विभिन्न दिलचस्प नई किताबें पढ़ सकते हैं। आप अपना स्वयं का अध्ययन सामग्री बना सकते हैं। आलोचना का कोई डर नहीं. आप अपने शेड्यूल के अनुसार अपने इच्छित समय पर सीख सकते हैं। नियमित शिक्षण की तुलना में, जहां शिक्षक का चम्मच उनमें जानकारी भरता है, स्व-सीखने वाले छात्र स्वयं कार्य करते समय अधिक स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं। स्व-शिक्षा उत्साही लोगों को किसी विषय में उतनी गहराई तक जाने और विषय वस्तु के साथ उतनी गहराई तक बातचीत करने का अवसर देती है, जितनी गहराई तक वे जाना चाहते हैं। स्व-शिक्षा के साथ, एक अच्छी कार्य नीति विकसित करने का एक शानदार अवसर है। आत्मविश्वास और काम करने का अच्छा एहसास देता हैकुंआ छात्र परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे पहले से ही समस्याओं से स्वयं निपटने के आदी होते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। सेल्फ स्टडी की जरूरत स्व-अध्ययन प्रभावी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पारंपरिक शिक्षण विधियों से पढ़ाई करने पर भी एक छात्र के लिए हर चीज की स्पष्ट दृष्टि और समझ होना बहुत जरूरी है। आप कक्षा में सब कुछ सीख और समझ नहीं सकते हैं, अपने व्याख्यान के बाद आपको विषयों की स्पष्ट समझ के लिए विषय को संशोधित करना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं अध्ययन करें और प्रतिस्पर्धा की कड़ी पूछताछ में शामिल होने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषयों पर पूरी तरह से ध्यान दें। ऐसे कई लोग हैं जो पढ़ाई के अलावा काम भी करते हैं या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमाने के लिए कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। इन छात्रों के लिए, स्व-अध्ययन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है, समय या उपस्थिति के किसी भी प्रतिबंध के बिना किसी भी समय सीखने में आसानी के साथ, इन छात्रों को काम करने और अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है, जब भी उनके पास खाली समय होता है। स्व-शिक्षा के लिए कदम अपने उद्देश्य निर्धारित करें: स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना सफल लोगों की पहली आदतों में से एक है, और अनुसंधान चरण शुरू करते समय सीखने वाले पेशेवर पहली चीजों में से एक करते हैं। कई कंपनियों में, सीखने के उद्देश्यों को शिक्षार्थी, प्रबंधक और मानव संसाधन के सुनहरे त्रिकोण द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। जानबूझकर सीखने की ज़रूरत वाले कुछ स्वतंत्र स्व-शिक्षार्थियों या छात्रों के लिए, अच्छी तरह से तैयार, स्मार्ट, परिणाम-उन्मुख उद्देश्यों को निर्धारित करके शुरुआत करना महत्वपूर्ण और फायदेमंद है। उन विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें जिन्हें आपको सीखने की आवश्यकता है और तदनुसार प्रासंगिक सामग्री एकत्र करना शुरू करें। समय बर्बाद न करें, सुनिश्चित करें कि आपको क्या चाहिए या क्या चाहिए और उसके अनुसार आगे बढ़ें। अच्छे और विश्वसनीय सूचना स्रोतों की तलाश करें: एक ही नाम से विषय पर सैकड़ों सामग्रियां उपलब्ध हैं, जिनमें से सभी विषय सभी लोगों के लिए हर समय उपलब्ध होंगे। लेकिन उपयोगी जानकारी का बड़ा डेटा ढेर बेकार जानकारी के समान प्रचुर मात्रा में किसी का ध्यान नहीं जा सकता है, और आपको इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा कि आपको क्या चाहिए और आप इसे कहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको उपलब्ध प्रत्येक प्रासंगिक जानकारी को छानने और कुछ गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तैयार करने की आवश्यकता है जो आपकी तैयारी को दूसरों से बेहतर बनाएगी। रुचि विकसित करें: किसी विषय पर सफलतापूर्वक महारत हासिल करने के लिए विषय में रुचि एक आवश्यक चालक है। आप वह नहीं सीख सकते जो आप सीखना नहीं चाहते या जिसमें आपकी कोई रुचि नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन रुचि के बिना आप पूर्णता हासिल नहीं कर सकते। भावना सफल सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आपकी किसी विषय में थोड़ी भी रुचि है, तो आप स्वयं को एक मौका दे सकते हैं। मुख्य बात यह है कि शुरुआत करें और समय के साथ आप जो करते हैं उसमें अपनी रुचि पैदा करें। यदि आप कुछ आनंददायक दिनचर्या बनाने में सक्षम हैं, तो आप पाएंगे कि विषय आप पर बढ़ता है और आपकी रुचि के साथ-साथ आपकी समझ का स्तर भी बढ़ता है। आप जो करते हैं उससे प्यार करें और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने विषय को अच्छे से कवर करें, हमारा मस्तिष्क एक रहस्यमय अंग है: यह हमारी सीखने की गतिविधियों से प्राप्त होने वाले नए इनपुट से निपटने के लिए पैटर्न बनाने के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। कभी-कभी, चाहे हम कितनी भी देर तक एक विषय पर ध्यान केंद्रित करें, हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को नहीं पकड़ पाता है जिसे हम सीखने या समझने की कोशिश कर रहे हैं।

कम मतदान के सभी पहलुओं पर विचार की जरूरत

बीती 19 अप्रैल को देश की 102 लोकसभा सीटों के लिए प्रथम चरण का मतदान हुआ। 21 राज्यों में औसत 62 प्रतिशत मतदाताओं ने ही मताधिकार का उपयोग किया। यह 2019 की तुलना में 4 फीसदी कम रहा है। मतदान कम हुआ इसने सबकी चिंता बढ़ाई हुई है। बूथ मैनेजमेंट का कौशल जिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के पास है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना था, जो जहां से जीते हैं उन्हें वहां से अपनी जीत के आंकड़े को बढ़ाना है, ये लक्ष्य भी दिया गया था, फिर क्या हुआ? सबसे अधिक मतदान संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में 84.16 फीसदी किया गया। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम में 80 फीसदी से ज्यादा मतदान हुए, लेकिन फिर भी 2019 की तुलना में 2 फीसदी तक कम हुए। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 फीसदी मतदान ज्यादा किया गया। जम्मू-कश्मीर सरीखे संवेदनशील क्षेत्र में 68.27 फीसदी मतदान शानदार माना जा सकता है, लेकिन वहां भी 2019 से 1.88 फीसदी मतदान कम हुआ। सबसे कम मतदान बिहार की सीटों पर 49 फीसदी से कुछ ज्यादा रहा, लेकिन 4 फीसदी कम मतदाता वोट देने घर से निकले।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे भाजपा वर्चस्व के राज्यों में 5-6 फीसदी मतदान कम किया गया। मध्यप्रदेश, राजस्थान और मिजोरम आदि राज्यों में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ। इनसे भाजपा के 370 और 400 पार वाले लक्ष्यों को ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि भाजपा उत्तरी भारत में ही शानदार जनादेश के भरोसे है। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में सब कुछ अनिश्चित है। हालांकि मध्यप्रदेश में 67.76 फीसदी मतदान हुए, लेकिन ये 7.31 फीसदी कम रहे। क्या मतदाताओं में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को जनादेश देने का उत्साह और जुनून कम हो गया है? पूर्वोत्तर में दो विरोधाभास उभर कर सामने आए हैं। मणिपुर में हिंसा के बावजूद 72.17 फीसदी लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन टूटी ईवीएम, लुटे बूथ, फटी वीवीपैट पर्चियों के चित्र मणिपुर में ही देखे गए हैं, जिनसे मतदान के दौरान हालात के अनुमान लगाए जा सकते हैं।

पूर्वोत्तर में ही नागालैंड राज्य में 4 लाख मतदाताओं से अधिक, राज्य के करीब 30 फीसदी वोटरों ने, 6 जिलों की 20 विधानसभा सीटों पर, बहिष्कार के कारण एक भी वोट नहीं डाला। वे अधिक स्वायत्तता वाले अलग क्षेत्र की मांग करते रहे हैं और केंद्र सरकार फिलहाल उसमें नाकाम रही है, लिहाजा उन्होंने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था। फिर भी 56.91 फीसदी मतदान हुआ। बेशक 2019 की तुलना में वह 26 फीसदी कम रहा। मणिपुर में भी 10.52 फीसदी मतदान कम हुआ। समग्रता में देखें, तो आम चुनाव के प्रथम चरण में 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करना था, लेकिन 6.12 करोड़ भारतीयों ने वोट ही नहीं डाले।

2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान के घटने से राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। बीते काफी लंबे समय से सत्ता और विपक्ष में बैठे नेता जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रख रहे थे। समाचार माध्यमों में भी चुनावी चर्चा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। टीवी और यूट्यूब चैनल पर तो राजनीतिक बहस के सिवाय और कुछ होता ही नहीं। इसके बाद भी यदि मतदान औसतन 75 फीसदी भी न पहुंचे तो इसका सीधा अर्थ यही निकलेगा कि मतदाता राजनीति के अतिरेक से ऊबने लगा है। यद्यपि असम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 70 फीसदी से अधिक मतदान ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इन राज्यों में राजनीतिक जागरूकता बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कहीं ज्यादा है।

वहीं इसका दूसरा पहलू ये भी है जहां कम या ज्यादा मतदान हुआ वहां का सामाजिक ढांचा किस प्रकार का है ? उदाहरण के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अधिक मतदान ऐलनिया भाजपा के विरुद्ध जाता है। लेकिन हिन्दू बहुल क्षेत्रों के मतदाता पूरी तरह भाजपा को मत देंगे ये कह पाना कठिन है। बावजूद इसके कि भाजपा हिन्दू समुदाय का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने में काफी हद तक सफल रही है। इसी तरह जातीय समीकरण बिठाने में भी उसने काफी महारत हासिल की है। भाजपा के साथ मध्यम वर्ग परम्परागत जुड़ रहा है जो पूरी तरह खुश नहीं होने के बाद भी उसकी राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होकर उसके पक्ष में खड़ा रहता है। असल में पहले चरण के मतदान में कोई 'लहर' महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता है मानो औसत मतदाता ने यह धारणा बना ली है कि मोदी को ही आना है! यह सोच कर ही मतदाता पोलिंग स्टेशन से तटस्थ रहा है। कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों की खबरें सामने आई हैं कि उन्होंने भी मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री मान लिया है, लिहाजा कोई भी ध्रुवीकरण दिखाई नहीं दिया। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय राजनीति में इतना बड़ा हो चुका है कि कोई अन्य नेता उनके आस-पास भी नजर नहीं आता। इस वजह से भाजपा को लगभग 5 प्रतिशत मत उस तबके के मिलने लगे हैं जो नीतियों के बजाय करिश्माई नेतृत्व से ज्यादा प्रभावित होता है। बुद्धिजीवी, विशेष रूप से पेशेवर वर्ग में पीएम मोदी की छवि बड़े निर्णय लेने वाले राजनेता की बन जाने से वह उनका प्रशंसक बन बैठा है। इन सबसे अलग गरीब जनता के मन में उनकी मुफ्त अनाज और मकान योजना का गहरा असर है। हालांकि पच्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेष, दिल्ली, पंजाब और कर्नाटक की गैर भाजपाई राज्य सरकारें भी ऐसे ही तमाम जन कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही हैं किंतु देश के बड़े भूभाग पर भाजपा का राज होने से मोदी की गारंटी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा नजर आता है। पिछले साल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस के वादों की बजाय मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया था। वैसे तो सभी पार्टियां कम मतदान को अपने पक्ष में बताने का प्रयास कर रही हैं किंतु सभी के लिए विचारणीय प्रश्न ये है कि शिक्षा और सूचना तंत्र का इतना प्रसार होने के बावजूद मतदान कम क्यों होता है ? चुनाव आयोग प्रतिशत बढ़ाने के लिए खूब प्रयास करता है। वोटर स्लिप भी घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन गत दिवस कुछ राज्यों को छोड़ बाकी में 2019 के लोकसभा और 2023 के विधानसभा चुनाव से कम मतदान होना राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता और चिंतन का कारण होना चाहिए। हालांकि परिणाम के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कम मतदान से किसे फायदा या नुकसान हुआ किंतु लोकतंत्र के लिए जिस तरह से मजबूत विपक्ष आवश्यक है उसी तरह मतदाताओं की जागरूकता भी। मतदाताओं को भी अपने एक वोट की शक्ति को समझना चाहिए।

-डॉ. आशीष वशिष्ठ

चुनावों में थम नहीं रहा है धनबल का बेजा इस्तेमाल

बाल मुकुन्द ओझा

यह हर भारतीय बहुत अच्छी तरह जानता और समझता है की चुनावों में राजनैतिक पार्टियां और उम्मीदवार प्रचार प्रसार पर बेहताशा धन खर्च करते है। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनावों में इस बार प्रत्याशी चुनाव प्रचार व प्रबंधन पर अधिकतम 95 लाख रुपये का खर्चा कर सकेंगे। मगर यह माने को कोई तैयार नहीं है कि उम्मीदवार खर्च की इस सीमा में ही चुनाव लड़ते है। यह सब जानते है कि उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए साधन सुविधा सुलभ करते है जिसमें काला धन का जमकर उपयोग होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बहुत बड़े पैमाने पर धनराशि व्यय की जाती है। लोगों को लगता है कि चुनाव जीतने के बाद खूब पैसा बनाया जा सकता है। एक बार किसी दल की तरफ से टिकट मिल जाए, फिर तो नेता चुनाव जीतने के लिए धन और बल लगा देते हैं। चुनावों में धन का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। उम्मीदवार जीतने के लिए खूब धन खर्च करते हैं। चुनाव के दौरान कच्ची बस्तियों में पैसा या सामान बांटा जाता है। पानी की तरह पैसा बहाकर बहुत से उम्मीदवार जीत हासिल कर लेते हैं। धन बल के इस्तेमाल को रोक पाना चुनाव आयोग के सामने सब से बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनावों के 75 साल के इतिहास में, 2024 के आम चुनावों के दौरान, निर्वाचन आयोग देश में अब तक की सबसे अधिक प्रलोभन संबंधी सामग्री जब्त करने की ओर अग्रसर है। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान शुरू होने से पहले धनबल के खिलाफ निर्वाचन आयोग के संघर्ष की दृढ़ता के साथ प्रवर्तन एजेंसियों ने 4650 करोड़ से अधिक रुपये की रिकॉर्ड जब्ती की। यह 2019 में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जब्त किए गए 3475 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि है। गौरतलब है कि 45 प्रतिशत जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है, जिन पर आयोग का विशेष ध्यान है। यह जब्ती व्यापक योजना बनाने, सहयोग बढ़ाने और एजेंसियों की सम्मिलित निवारण कार्रवाई, सक्रिय नागरिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग से संभव हुई है। भारत दुनियां का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व की अनुभूति होती है। मगर लोकतान्त्रिक संस्थाओं के चुनावों ने हमारे इस गर्व को चूर चूर करके रख दिया है। इसका एक बड़ा कारण इन चुनाव में काले धन के बेहताशा खर्च पर है। भारत चुनाव आयोग की लाख चेष्टाओं के बाद भी चुनावों में बेहिसाबी धन के खर्चे पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। यह धन सफेद और काला दोनों है। चुनाव सुधार की बातें हम एक अरसे से सुनते आये है मगर यह सुधार कागजों से आगे नहीं बढ़ पाया है। चुनाव में काला धन खर्च कर जीतने वाला प्रत्याशी अपने धन की उगाही में सदा सर्वदा जुटा रहता है। उसे अपने अगले चुनाव की चिंता सताए रहती है। भारत में गैरकानूनी तरीके से कमाए गए काले धन को कई तरह से ठिकाने लगाया जाता है जिसमें जमीन जायदाद का कारोबार और चुनाव प्रचार जैसे तरीके भी शामिल हैं। चुनाव में पैसा और दारू के अनुचित प्रयोग के साथ गरीब मतदाताओं के वोट खरीदना आम बात हो गयी है।

शुरु के कुछ आम चुनावों तक दिग्गज उम्मीदवार भी बैलगाड़ियों, साइकलों, ट्रैक्टरों पर प्रचार करते थे। उम्मीदवार की आर्थिक मदद खुद कार्यकर्ता किया करते थे। लेकिन आज के नेता हेलिकॉप्टरों या निजी विमानों से सीधे रैलियों में उतरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों लोगों की भीड़ जुटाते हैं। उस समय पैदल यात्रा का भी अपना आकर्षण था। समाजवादी और साम्यवादी नेता साईकिल और बैलगाड़ियों पर संपर्क करते थे। समाजवादी नेता डॉ राम मनोहर लोहिया को अपने उम्मीदवारों का प्रचार बैलगाड़ी पर करते देखा जा सकता था। सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के पास अवश्य कार देखी जा सकती थी। नेता अपनी गांठ से खाना खाते थे अथवा किसी कार्यकर्ता के यहां विश्राम कर वहीं भोजन करते थे। आज किसी बड़े होटल में रुकते है और निजी विमान से प्रचार करते हैं।